जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनाँक 13.09.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6890 द्वारा मारपीट में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 6890 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत महाखरपुर से कालर द्वारा मारपीट में घायल 01 व्यक्ति (1.सोनू कुमार यादव पुत्र स्व रामचन्द्र पता-महाखरपुर थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर उक्त घायल व्यक्तियों को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ*-** मु0आ0 संजय पाल, आ0 गौरव सिंह, हो0चा0 राकेश सिंह।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 87 वाहनों से 99,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 13.09.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 87 वाहनों से 99,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 700 ग्राम अवैध गाँजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री जयप्रकाश दूबे*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के दौरान अभियुक्त उमेश चौहान पुत्र श्री रामजीत चौहान निवासी डिहवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 13.09.2025 को इण्डेन गैस गोदाम गौरापार के पास से कुल 700 ग्राम अवैध गाँजा के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. उमेश चौहान पुत्र श्री रामजीत चौहान निवासी डिहवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर ।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0स0 447/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- कुल 700 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री रामदरश यादव, हे0का0 रमेश मिश्र, का0 सत्यम सिंह।

सड़क सुरक्षा हेतु "नो हेलमेट-नो फ्यूल" अभियान के संबंध में थाना मेंहदावल पर बैठक आयोजित

पुलिस अधीक्षक *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्वदमन सिंह* के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 13.09.2025 को थाना मेंहदावल पर पेट्रोल पंप मालिकों / मैनेजरों के साथ बैठक आयोजित की गई । बैठक में शासन द्वारा संचालित "नो हेलमेट-नो फ्यूल" अभियान के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई । सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया कि बिना हेलमेट पहने किसी भी दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल न दिया जाए ।

पुलिस की अपील :

- दोपहिया वाहन चलाते समय अच्छी गुणवत्ता का हेलमेट अवश्य पहनें ।
- याद रखें – सड़क सुरक्षा ही जीवन रक्षा है ।
- शराब पीकर वाहन न चलाये ।
- "ऑपरेशन त्रिनेत्र" अभियान के तहत पेट्रोल पंपों पर अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगवाकर सड़क मार्ग को कवर करने हेतु प्रेरित किया गया ।

संदेश:

- नो हेलमेट – नो फ्यूल
- पहले हेलमेट, फिर फ्यूल
- हेलमेट है कूल, तभी मिलेगा फ्यूल